**न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**

पीठासीन अधिकारी – शालिनी शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या – 20/2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 397/2019 पुलिस थाना मदनगंज।
सी.आई.एस. संख्या – 58/2022
सी.एन.आर. संख्या – RJAJ170010322022

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, किशनगढ़, जिला अजमेर

**– अभियोगी**

**ब ना म**

मुकेश पुत्र श्री करणाराम उम्र 26 साल निवासी टिकावड़ा पुलिस थाना किशनगढ़ शहर जिला अजमेर।

**– अभियुक्त**

**अपराध अंतर्गत धारा 366, 376(2) भारतीय दण्ड संहिता।**

**उपस्थित–**
1. राज्य की ओर से – अपर लोक अभियोजक श्री पदमराज सैनी।
2. अभियुक्त की ओर से – अधिवक्ता श्री संजय बिड़ला व श्री किशोर सिंह।

**– :: निर्णय :: –**

**दिनांक ::– 06.06.2026**

1. हस्तगत प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के आदेश क्रमांक/स्था./2023/465 दिनांक 18.09.2023 की अनुपालना में निस्तारण हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, किशनगढ़ से अंतरित होकर दिनांक 21.09.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. उक्त प्रकरण धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है, इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए और पीड़िता को उक्त अपराध के सामाजिक शिकार से रोकने के लिए एवं सामाजिक बहिष्कार से बचाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **State of Karnataka Vs. Puttaraja S.C. Appeal Criminal No. 506/1997, Date of Judgment 27.11.2003** में पारित किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार अभियोक्त्री/पीड़िता को स्वयं के नाम से सम्बोधित नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके स्थान पर **"पीड़िता''** के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

3. **पीड़िता** ने न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, किशनगढ़ के समक्ष एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 19.11.2019 को परिवादिया अपने पुत्र अजय उम्र करीब 3 वर्ष को किशनगढ़ दवाई दिलाने लायी थी। समय करीबन 2.00 पी.एम. पर परिवादिया अपने गांव जाने के लिये सुमेर सिटी चौराहे के पास खड़ी थी तभी वहां पर अभियुक्त सं. 1 आ गया तथा उसे कहा कि इस टैम्पू में बैठ जाओ हम भी टिकावड़ा चल रहे हैं तो वह उस टैम्पू में अभियुक्त सं. 1 रंगलाल के साथ बैठ गयी। फिर अभियुक्त सं. 1 रंगलाल परिवादिया को उस टैम्पू से नया रोडवेज बस स्टैण्ड ले गया। वहां जाकर अभियुक्त सं. 1 मावे की मिठाई लेकर आया तथा अभियुक्त सं. 1 रंगलाल ने परिवादिया को वह मावे की मिठाई खिलाई फिर परिवादिया अचेत हो गयी तथा अभियुक्त सं. 1 जैसा कहता वैसे ही करने लग गयी। इसके बाद अभियुक्त संख्या 1 रंगलाल ने परिवादिया को एक रोडवेज बस में टिकिट देकर बिठाया, जिसमें पहले से ही अभियुक्त सं. 2 मुकेश बैठा था। अभियुक्त सं. 1 ने परिवादिया को अभियुक्त सं. 2 मुकेश के साथ उस रोड़वेज बस में बिठा दिया तथा बिठाने के बाद रंगलाल व मुकेश ने परिवादिया को कहा कि चुपचाप बस में उसके साथ बैठ जाओ नहीं तो तुम्हारे मां–बाप व भाई को जान से मार देंगे। इसके बाद परिवादिया डर गयी और चुपचाप अपने बच्चे सहित अभियुक्त सं. 2 मुकेश के साथ बस में बैठ गयी और अभियुक्त सं. 1 रंगलाल वहीं बस से उतर गया। उसके बाद अभियुक्त सं. 2 मुकेश, परिवादिया को जयपुर ले गया तथा जयपुर से दूसरी बस में बिठाकर बिलासपुर ले गया, जहां पर अभियुक्त सं. 2 मुकेश ने परिवादिया को एक होटल में रात भर रोका तथा वहां पर अभियुक्त सं. 2 मुकेश ने परिवादिया को जबरदस्ती शराब पिलाई तथा परिवादिया को उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर सारी रात दुष्कर्म किया तथा किसी व्यक्ति या होटल वाले को कुछ भी बताने पर परिवादिया व बच्चे को जान से मारने की धमकियां दी। इसके बाद अभियुक्त सं. 2 मुकेश, परिवादिया को दूसरे दिन हरियाणा में बास लाम्बी गांव में ले गया, जहां पर अभियुक्त सं. 2 मुकेश ने वहां एक दिन रखा, वहां पर भी अभियुक्त सं. 2 मुकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद अभियुक्त सं. 2 मुकेश उसे शाम को बस में बैठाकर नसीराबाद लेकर आ गया, जहां पर वे सुबह 4:00 बजे आ गये थे। इसके बाद अभियुक्त सं. 2 मुकेश ने परिवादिया को बस में बैठाकर दिनांक 23.11.2019 को सुबह 7.00 बजे पुष्कर ले गया, जहां पर वे रोड़वेज बस स्टैण्ड पर उतरे, वहां पर उतरते ही उसके माता–पिता व परिवार के अन्य लोग मौजूद थे, जिनको देखकर अभियुक्त सं. 2 मुकेश परिवादिया को वहीं पर छोड़कर भाग गया, इत्यादि।

4. उक्त परिवाद को न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दं.प्र.सं. में वास्ते

अनुसंधान भेजा गया, जिस पर पुलिस थाना मदनगंज द्वारा प्रकरण संख्या 397/2019 अंतर्गत धारा 376, 366, 384, 120 बी भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया। बाद अनुंसधान अभियुक्त मुकेश बागरिया के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 366, 376(2) भारतीय दंड संहिता प्रमाणित पाये जाने पर उक्त धाराओं में आरोप पत्र संबंधित न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण बाद प्रसंज्ञान कमिट होकर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1, किशनगढ़ को प्राप्त होने पर नियमानुसार नियमित दाण्डिक दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त को आरोप अन्तर्गत धारा 366, 376(2) भारतीय दण्ड संहिता में पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, तो अभियुक्त ने उपरोक्त आरोप को सुन–समझकर इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, वह इस प्रकार हैः–

| क्रम सं. | पी.डब्ल्यू. | गवाह का नाम |
|---|---|---|
| 1 | पी.ड. 1 | पीड़िता |
| 2 | पी.ड. 2 | पीड़िता की माता |
| 3 | पी.ड. 3 | पीड़िता के पिता |
| 4 | पी.ड. 4 | महावीर |
| 5 | पी.ड. 5 | बलवीर |
| 6 | पी.ड. 6 | शंकर |
| 7 | पी.ड. 7 | बदाम |
| 8 | पी.ड. 8 | रोशन सामरिया |
| 9 | पी.ड. 9 | डॉ. अंजना गुप्ता |
| 10 | पी.ड. 10 | भंवरलाल |
| 11 | पी.ड. 11 | कैलाशनाथ |
| 12 | पी.ड. 12 | लक्ष्मण बागरिया |
| 13 | पी.ड. 13 | संतरा |
| 14 | पी.ड. 14 | गीता चौधरी |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | पी.ड. 15 | हनुमान जाट |
| 16 | पी.ड. 16 | गुरूशरण कुडी |
| 17 | पी.ड. 17 | सीताराम |

**7.** अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।–

| क्रम सं. | प्रदर्श | विवरण दस्तावेज |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी–1 | परिवाद |
| 2 | प्रदर्श पी–2 | नक्शामौका घटनास्थल |
| 3 | प्रदर्श पी–3 | नक्शामौका घटनास्थल |
| 4 | प्रदर्श पी–4 | नक्शामौका घटनास्थल |
| 5 | प्रदर्श पी–5 | मेडिकल रिपोर्ट |
| 6 | प्रदर्श पी–6 | धारा 164 के बयान पीड़िता |
| 7 | प्रदर्श पी–7 | नोटिस धारा 91/160 सीआरपीसी |
| 8 | प्रदर्श पी–8 | नोटिस धारा 91/160 सीआरपीसी |
| 9 | प्रदर्श पी–9 | पुलिस बयान पीड़िता |
| 10 | प्रदर्श पी–10 | पुलिस बयान श्रीमती नन्दू देवी |
| 11 | प्रदर्श पी–11 | पुलिस बयान मदन |
| 12 | प्रदर्श पी–12 | पुलिस बयान महावीर |
| 13 | प्रदर्श पी–13 | पुलिस बयान बलवीर |
| 14 | प्रदर्श पी–14 | पुलिस बयान शंकर |
| 15 | प्रदर्श पी–15 | पुलिस बयान बदाम |
| 16 | प्रदर्श पी–16 | चाक एफआईआर |
| 17 | प्रदर्श पी–17 | अग्रेषण पत्र |
| 18 | प्रदर्श पी–18 | एफएसएल रिपोर्ट |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | प्रदर्श पी–19 | फर्द गिरफ्तारी |
| 20 | प्रदर्श पी–20 | पुलिस बयान संतरा |
| 21 | प्रदर्श पी–22 | अभियुक्त की पुरूषत्व संबंधी रिपोर्ट |
| 22 | प्रदर्श पी–23 | नोटिस |

8. अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध कराए गए, जिसमें अभियुक्त ने अभियेाजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाए जाने के कथन करते हुए साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

9. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा दौराने बहस** व्यक्त किया गया कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया है। पीड़िता का अयुक्त संभोग करने के आशय से जबरन अपहरण कर उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ अलग–अलग स्थान पर अलग–अलग समय पर दुष्कर्म करना प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 366, 376(2) भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया।

10. **दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त** ने कथन किए हैं कि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता को दिनांक 19.11.2019 को किसी समय वाके मौजा रोडवेज बैस स्टैण्ड से पीड़िता को अपने साथ अयुक्त संभोग के लिए उसे विवश या विलुब्ध करने हेतु या यह जानते हुए कि वह इस प्रकार विवश या विलुब्त की जायेगी, उसको प्रवंचनापूर्वक उपायों द्वारा अपने साथ ले जाने के लिए उत्प्रेरित कर उसका अपहरण कर उसे जयपुर, बिलासपुर, हरियाणा, नसीराबाद एवं पुष्कर ले जाना और दिनांक 19.11.2019 से दिनांक 23.11.2019 तक अलग–अलग स्थान व अलग–अलग समय पर पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध व उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग करने का आरोप है, परन्तु पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में अपने परिवाद प्रदर्श पी–1 की लैशमात्र भी ताईद नहीं की है एवं पूर्णतया पक्षद्रोही रही है। पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में स्वयं के साथ किसी प्रकार की बलात्कार की घटना होने एवं अपनी स्वयं की मर्जी से अभियुक्त मुकेश के साथ जाना बताया है। घटना की रिपोर्ट घटना के करीब 10 दिन विलंब से दर्ज करवाई गई है। पीड़िता के द्वारा जो परिवाद में तथ्य अंकित किए गए हैं, उनकी पुष्टि गवाहान की साक्ष्य से नहीं हुई है। पीड़िता सहित परीक्षित पीड़िता के परिवारजन

भी पूर्णतया पक्षद्रोही रहे हैं, जिनके बयानों से भी अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं होती है। एफएसएल रिपोर्ट नकारात्मक प्राप्त हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्संग किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु बनना पाया जाता है–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.11.2019 को किसी समय वाके मौजा रोडवेज बैस स्टैण्ड से पीड़िता को अपने साथ अयुक्त संभोग के लिए उसे विवश या विलुब्ध करने हेतु या यह जानते हुए कि यह इस प्रकार अयुक्त संभोग के लिए विवश या विलुब्त की जायेगी, उसको प्रवंचनापूर्वक उपायों द्वारा अपने साथ जाने के लिए उत्प्रेरित कर उसका अपहरण कर उसे जयपुर, बिलासपुर, हरियाणा, नसीराबाद एवं पुष्कर ले गया और दिनांक 19.11.2019 से दिनांक 23.11.2019 को सुबह 7.00 ए.एम. से पूर्व अलग–अलग समय पर अलग–अलग स्थान पर पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध व उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग किया?
2. यदि हाँ, तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी ?

## निष्कर्ष एवं उसके आधार

12. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का विवेचन विश्लेषण किया जाए तो परिवादिया द्वारा जरिए **इस्तगासा प्रदर्श पी 1** इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि दिनांक 19.11.2019 को परिवादिया अपने पुत्र अजय उम्र करीब 3 वर्ष को किशनगढ़ दवाई दिलाने लायी थी। समय करीबन 2.00 पी.एम. पर परिवादिया अपने गांव जाने के लिये सुमेर सिटी चौराहे के पास खड़ी थी तभी वहां पर अभियुक्त सं. 1 आ गया तथा उसे कहा कि इस टैम्पू में बैठ जाओ हम भी टिकावड़ा चल रहे हैं तो वह उस टैम्पू में अभियुक्त सं. 1 रंगलाल के साथ बैठ गयी। फिर अभियुक्त सं. 1 रंगलाल परिवादिया को उस टैम्पू से नया रोडवेज बस स्टैण्ड ले गया। वहां जाकर अभियुक्त सं. 1 मावे की मिठाई लेकर आया तथा अभियुक्त सं. 1 रंगलाल ने परिवादिया को वह मावे की मिठाई खिलाई फिर परिवादिया अचेत हो गयी तथा अभियुक्त सं. 1 जैसा कहता वैसे ही करने लग गयी। इसके बाद अभियुक्त संख्या 1 रंगलाल ने

परिवादिया को एक रोडवेज बस में टिकिट देकर बिठाया, जिसमें पहले से ही अभियुक्त सं. 2 मुकेश बैठा था। अभियुक्त सं. 1 ने परिवादिया को अभियुक्त सं. 2 मुकेश के साथ उस रोड़वेज बस में बिठा दिया तथा बिठाने के बाद रंगलाल व मुकेश ने परिवादिया को कहा कि चुपचाप बस में उसके साथ बैठ जाओ नहीं तो तुम्हारे मां–बाप व भाई को जान से मार देंगे। इसके बाद परिवादिया डर गयी और चुपचाप अपने बच्चे सहित अभियुक्त सं. 2 मुकेश के साथ बस में बैठ गयी और अभियुक्त सं. 1 रंगलाल वहीं बस से उतर गया। उसके बाद अभियुक्त सं. 2 मुकेश, परिवादिया को जयपुर ले गया तथा जयपुर से दूसरी बस में बिठाकर बिलासपुर ले गया, जहां पर अभियुक्त सं. 2 मुकेश ने परिवादिया को एक होटल में रात भर रोका तथा वहां पर अभियुक्त सं. 2 मुकेश ने परिवादिया को जबरदस्ती शराब पिलाई तथा परिवादिया को उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर सारी रात दुष्कर्म किया तथा किसी व्यक्ति या होटल वाले को कुछ भी बताने पर परिवादिया व बच्चे को जान से मारने की धमकियां दी। इसके बाद अभियुक्त सं. 2 मुकेश, परिवादिया को दूसरे दिन हरियाणा में बास लाम्बी गांव में ले गया, जहां पर अभियुक्त सं. 2 मुकेश ने वहां एक दिन रखा, वहां पर भी अभियुक्त सं. 2 मुकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद अभियुक्त सं. 2 मुकेश उसे शाम को बस में बैठाकर नसीराबाद लेकर आ गया, जहां पर वे सुबह 4:00 बजे आ गये थे। इसके बाद अभियुक्त सं. 2 मुकेश ने परिवादिया को बस में बैठाकर दिनांक 23.11.2019 को सुबह 7.00 बजे पुष्कर ले गया, जहां पर वे रोड़वेज बस स्टैण्ड पर उतरे, वहां पर उतरते ही उसके माता–पिता व परिवार के अन्य लोग मौजूद थे, जिनको देखकर अभियुक्त सं. 2 मुकेश परिवादिया को वहीं पर छोड़कर भाग गया, इत्यादि।

13. उक्त परिवाद के संबंध में **पीड़िता** को न्यायालय में परीक्षित करवाये जाने पर बतौर गवाह पी.ड. 1 अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह ग्राम टिकावडा की रहने वाली है। करीब 5–6 साल पूर्व उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। वह मुकेश से साथ अपनी मर्जी से गई थी। उसने पुराने लेनदेन के कारण रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह कहना सही है कि उसने जरिये इस्तगासा कोर्ट से रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज हुई थी। इस्तगासा प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए–बी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण दर्ज होने के पश्चात् पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था, जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए–बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने दूसरा घटनास्थल नया बस स्टेंड का बनाया था जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए–बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द निरीक्षण घटनास्थल विलासपुर चौक होटल ट्यूलिप पार्किन का बनाया था, जो प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए–बी उसके हस्ताक्षर

है। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया था जो प्रदर्श पी 5 है जिस पर ए–बी उसकी सहमति तथा सी–डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके धारा 164 के बयान करवाये थे जो प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए–बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे बरवक्त घटना पहने हुए कपडे पेश करने हेतु नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए–बी उसका जवाब है तथा सी–डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे गवाह सबूत पेश करने हेतु नोटिस दिया जो प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए–बी उसके हस्ताक्षर है। अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

14. **अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुलजिमान व उनके मध्य राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि उसके साथ कोई घटना हुई हो और वह आज झूठे बयान दे रही हो। उसने रंजिशवश गुस्से में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। यह कहना गलत है कि उनके व मुलजिमान के मध्य राजीनामा हो जाने से वह उनको बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रही हो। पुलिस ने घटना मे उसके बयान लिए थे, जो प्रदर्श पी 9 है। प्रदर्श पी 9 का ए–बी भाग ''ने दरियाफत–––चली गई'' उसने पुलिस को नहीं बताया था, पुलिस ने क्यों लिखा उसे नहीं पता।

15. **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि वह बालिग है तथा अच्छे–बुरे में समझती है। उसे मुकेश ना तो जबरन लेकर गया ना ही उसकी इच्छा के विरूद्ध कोई बलात्कार किया।

16. इस प्रकार से परिवादिया ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त मुकेश के साथ अपनी मर्जी से जाना तथा पुराने लेनदेन के कारण रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने का कथन किया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसने रंजिशवश गुस्से में मुकदमा दर्ज करवा दिया था तथा गवाह ने उसके साथ कोई घटना हुई हो इस सुझाव को गलत होना बताया है। मुलजिम व उसके बीच राजीनामा होने का कथन करते हुए अभियुक्त मुकेश द्वारा जबरन ले जाने से इनकार किया व अपनी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किए जाने से भी स्पष्ट इनकार किया है।

17. अन्य गवाह **पी.ड. 2**, जो कि पीड़िता की माता है, ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि करीब 6–7 साल पहले की घटना है। उसके एक लड़का व तीन लड़कियां हैं। उसकी लड़की पीड़िता का विवाह ग्राम टिकावडा के बंशी के साथ हुआ था। उसकी पुत्री पीड़िता के 2 पुत्र है। करीब 6 वर्ष पहले उसकी पुत्री पीड़िता की सासु ने उसे बताया कि पीड़िता दिन में बच्चों को दवाई दिलाने गई थी, जिसके बाद वापस नहीं आई। उसने रिश्तेदारों के यहां ढूंढ लिया है लेकिन पता नहीं चल रहा। उसी दिन पीड़िता की सासु ने थाने पर सूचना भी दी थी। फिर उसके बाद

"Authenticated Document"

उसकी पुत्री पीड़िता, मुकेश के साथ दूसरे दिन आ गई थी और उन्होंने बताया कि वे दोनों सहमति से घूमने गये थे लेकिन उनके आपस मे हिसाब को लेकर विवाद हो गया इसलिए कोर्ट मे इस्तगासा पेश करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। उपरोक्त घटना के बाद पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की केवल खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

18. **अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस ने घटना में उसके बयान लिए थे जो प्रदर्श पी 10 है। प्रदर्श पी 9 का ए–बी भाग ''ने दरियाफत–––किशनगढ लेकर आ गये'' उसने पुलिस सही लिखाया था, सी–डी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया था पुलिस ने क्यों लिखा उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि मुकेश से उनका राजीनामा हो गया है।

19. अन्य गवाह **पी.ड. 3,** जो कि पीड़िता का पिता है ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि करीब 6–7 साल पहले की घटना है। उसके एक लड़का व तीन लड़कियां हैं। उसकी लड़की पीड़िता का विवाह ग्राम टिकावडा के बंशी के साथ हुआ था। उसकी पुत्री पीड़िता के 2 पुत्र है। करीब 6 वर्ष पहले उसकी पुत्री पीड़िता की सासु ने उसकी पत्नी को बताया कि पीड़िता दिन में बच्चों को दवाई दिलाने गई थी जिसके बाद वापस नहीं आई। उन्होंने रिश्तेदारों के यहां ढूंढ लिया है लेकिन पता नहीं चल रहा। उसी दिन पीड़िता की सासु ने थाने पर सूचना भी दी थी। फिर उसके बाद उसकी पुत्री पीड़िता, मुकेश के साथ दूसरे दिन आ गई थी और उन्होंने बताया कि वे दोनों सहमति से घूमने गये थे लेकिन उनके आपस में हिसाब को लेकर विवाद हो गया इसलिए कोर्ट मे इस्तगासा पेश करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। उपरोक्त घटना के बाद पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की केवल खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

20. **अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस ने घटना में उसके बयान लिए थे, जो प्रदर्श पी 11 है। प्रदर्श पी 11 का ए–बी भाग ''ने दरियाफत–––किशनगढ लेकर आ गये'' उसने पुलिस सही लिखाया था, सी–डी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया था पुलिस ने क्यों लिखा उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि मुकेश से उनका राजीनामा हो गया है।

21. इस प्रकार से उक्त दोनों गवाहान ने भी अपनी–अपनी साक्ष्य में अपनी पुत्री का अभियुक्त महेंद्र के साथ आपसी सहमति से घूमने जाना एवं हिसाब को लेकर विवाद होने पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाने का कथन किए हैं एवं पक्षद्रोही रहे हैं।

22. अन्य गवाह **पी.ड. 4 महावीर** ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है

कि वह गांव काचरिया का रहने वाला है तथा खेतीबाड़ी का काम करता है। रंगलाल बागरिया का मकान उसके मकान के पास ही है। किसी महिला ने रंगलाल का नाम लिखा दिया था। रंगलाल के पास कोई टैम्पो नहीं है ना ही रंगलाल टैम्पो चलाना जानता है। वह ना तो पीड़िता को जानता है ना ही मुकेश को जानता है। उसे किसी बारे में कुछ नहीं पता ना ही उसके पुलिस में बयान हुए। अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

23. **अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 12 का ए–बी भाग ''ने दरियाफत–––लिये जाते है'' उसने पुलिस सही लिखाया था, सी–डी भाग ''दिनांक 19.11.2019 को–––एक–दो दिन थी'' उसने पुलिस को नहीं लिखाया था। उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 12 का ई–एफ भाग सही लिखा है।

24. इस प्रकार से उक्त गवाह पीड़िता व अभियुक्त को जानने से स्पष्ट इनकार करते हुए पूर्णतया पक्षद्रोही रहा है।

25. अन्य गवाह **पी.ड. 5 बलवीर** ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह ग्राम गोवरधनपुरा का रहने वाला है। टिकावड़ा का निवासी नहीं है। मदन उसका काका बाबा में भाई लगता है। मदनलाल के दो लड़कियां पीड़िता व मनराज का विवाह टिकावड़ा निवासी बंशी एवं शंकर के साथ पर रखा था। बाद में उसने सुना कि पीड़िता मुकेश के साथ भाग गई थी, जिन्हें पुष्कर से किशनगढ़ थाने पर लेकर आए थे। तब पीड़िता ने मुकेश पर जबरदस्ती भगा कर ले जाने व बलात्कार करने की बात नहीं बताई थी, अपनी इच्छा से साथ जाना बताया था। इसके अलावा उसे और कोई जानकारी नहीं है। अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

26. **अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी. 13 का ए से बी भाग दरियाफत पुलिस–––साथ भाग गई थी, लिखाया था। पुलिस बयान का सी से डी भाग चार पांच दिन बाद...........नहीं बताई थी। ई से एफ भाग फिर पीड़िता ....... जानकारी हनीं है उसने पुलिस को नहीं लिखाया।

27. **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि पीड़िता ने बाद में उन्हें बताया कि मुकेश ने उसको न तो भगा कर ले गया और न ही उसके साथ बलात्कार किया। उसने माता–पिता के दबाव एवं लेन देन के विवाद के कारण मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया।

28. इस प्रकार से उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में पीड़िता का विवाह हो रखा होना तथा पीड़िता का अभियुक्त मुकेश के साथ भागने की बात सुने जाने का कथन

किया है। गवाह ने पुष्कर से किशनगढ़ थाने पर लेकर आने पर पीड़िता ने अभियुक्त मुकेश पर जबरदस्ती भगाने व बलात्कार करने की बात बताई हो, इस तथ्य से स्पष्ट इनकार किया है व पीड़िता का उसकी इच्छा से जाना बताए जाने का कथन किया है व पूर्णतया पक्षद्रोही रहा है। गवाह ने अपनी जिरह में भी अभियुक्त द्वारा उसे भगा कर ले जाने, उसके साथ बलात्कार नहीं करने की बात पीड़िता द्वारा बताए जाने का कथन किया है व माता–पिता के दबाव में व लेनदेन के कारण ही अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाना बताया है।

29. अन्य गवाह **पी.ड. 6 शंकर** ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि बंशी उसका भाई लगता है। इसकी शादी गोरधनपुरा निवासी पीड़िता के साथ हुई थी। पांच–छह साल से ससुराल बंशी के साथ नहीं रह रही थी। छह साल पहले पीड़िता मुकेश के साथ चली गई थी। बाद में पुलिस में पीड़िता ने बताया कि वो अपनी मर्जी से मुकेश के साथ चली गई थी। उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ था, लेकिन पीड़िता ने अपने माता–पिता के दबाव में एवं लेन–देन के विवाद के कारण मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसके बाद उनके आपस में राजीनामा हो गया था। अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

30. **अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी. 14 का ए से बी हिस्सा "दरियाफ्त पुलिस...... दो लड़के हैं" उसने पुलिस को नहीं लिखाया था एवं सी से डी भाग पीड़िता अपने.................. समझाइश की थी" उसने पुलिस को नहीं लिखवाया। ई से एफ भाग "दूसरे दिन................ नहीं बताई थी" उसने पुलिस को नहीं बताया। यह सही है कि उनके राजीनामा हो गया है।

31. इस प्रकार उक्त गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में पीड़िता का अभियुक्त के साथ 6 साल पहले जाना, बाद में पुलिस के समक्ष पीड़िता द्वारा बताया गया कि वह अपनी मर्जी से अभियुक्त मुकेश के साथ गई थी, उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ था लेकिन पीड़िता ने अपने माता–पिता के दबाव में व लेनदेन के विवाद के कारण अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया था।

32. अन्य गवाह **पी.ड. 7 बदाम,** जो कि पीड़िता की सास है, ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह पीड़िता को जानती है, वो उसके बेटे बंशी की पत्नी थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने से पूर्व पांच छह साल से ही वो बंशी के साथ नहीं रह रही थी। आज से छह साल पूर्व उन्हें पता लगा कि पीड़िता मुकेश बागरिया के साथ चली गई है। तब उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस वाले पीड़िता को ढूंढ कर थाने लाए थे। जहां पीड़िता ने मुरेश के साथ अपनी इच्छा

से जाना बताया था। तब उन्होंने राजीनामा का प्रयास किया लेकिन राजीनामा नहीं हुआ। तब उन्होंने पीड़िता से कहकर यह मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता को पुलिस वालों ने उसके माता–पिता को सुपुर्द कर दिया। इसके अलावा उसे और कोई जानकारी नहीं है। अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

33. **अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी. 15 का ए से बी हिस्सा "दरियाप्त पुलिस..... मजदूरी करती है" पुलिस को सही लिखाया था तथा सी से डी भाग "दिनांक 19.11.2019 को........... थाने पर गए" उसने पुलिस को नहीं लिखवाया एवं ई से एफ भाग "जहां पर पुलिस......... जाना चाहती है" सही लिखवाया था। उसके पुलिस बयान का जी से एच भाग "पुलिस वालों ने.....गलत काम किया" उसने पुलिस को नहीं लिखाया। यह सही है कि उनके राजीनामा हो गया है।

34. **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि थाने पर पीड़िता ने उनके सामने ही पुलिस को यह बताया था कि मुकेश उसे जबरन भगाकर नहीं ले गया था और न ही उसके साथ बलात्कार किया था। यह सही है कि थाने पर उस दिन राजीनामा नहीं होने से पीड़िता के माता–पिता ने पीड़िता से यह मुकदमा दर्ज करवा दिया था।

35. इस प्रकार से उक्त गवाह ने भी पीड़िता का मुकेश के साथ चले जाना, जिसकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवाना, पीड़िता को ढूंढ कर लाने पर पीड़िता द्वारा मुकेश के साथ अपनी इच्छा से जाना बताया, पीड़िता को उसके माता–पिता को सुपुर्द कर दिया था, इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं होना बताया। गवाह पूर्णतया पक्षद्रोही रही है। गवाह ने जिरह में पुलिस के समक्ष पीड़िता द्वारा मुकेश का उसे जबरन भगाकर ले जाना, उसके साथ बलात्कार की बात बताई हो, इस तथ्य से स्पष्ट इनकार किया है।

36. अन्य गवाह **पी.ड. 13 संतरा** ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह ग्राम टिकावडा की रहने वाली है। खेतीबाडी व मजदूरी का काम करती है। आज से करीब 6 वर्ष पहले वह अपने निजी काम से किशनगढ़ आई हुई थी। किशनगढ़ से समय करीबन 2 बजे नाहर चौराहा पर उसके गांव आने वाले टैम्पो में बैठी थी तब उस दिन टैम्पो में उनके गांव व जाति समाज की पीड़िता अपने छोटे बच्चे के साथ गांव आने के लिए उसी टैम्पो में बैठी थी। तब उसने बातों–बातों में बताया कि उसके छोटे बच्चे की तबीयत खराब थी तो उसको दिखाने व साग सब्जी लेने किशनगढ़ आई थी। थोड़ी देर बाद पीड़िता टैम्पो से उतरकर कहीं चली गई,

उसके बाद उसे पता नही क्या हुआ। अपर लोक अभियोजन के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

37. **अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस में बयान हुए थे, जो प्रदर्श पी 20 है। उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 20 का ए–बी भाग ''मैं दरियाफ्त––किशनगढ आई थी'' सही लिखा है। उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 20 का सी–डी भाग ''अभी हमारे––नहीं जानती हूं'' उसने पुलिस को नहीं लिखाया था। वह मुकेश को नहीं जानती है। पीड़िता ने जो मुकदमा दर्ज कराया, उसमें पुलिस ने उसके बयान लिये थे। यह कहना सही है कि पीड़िता व मुकेश के आपस में राजीनामा हो गया है।

38. **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह मुकेश को नहीं जानती है। उसके पुलिस बयान हुए लेकिन पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं सुनाया था।

39. इस प्रकार से उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में 6 साल पहले स्वयं का निजी कार्य से किशनगढ़ आना, तब टेंपो में नाहर चौराहे पर उसके गांव व जाति समाज की पीड़िता का अपने छोटे बच्चे के साथ गांव के लिए बैठने व छोटे बच्चे की तबीयत खराब होने से उसे दिखाने व साग सब्जी लेने किशनगढ़ जाना बताया, फिर वह उतरकर चली गई। उसके बाद क्या हुआ, जानकारी नहीं होना बताया है और पक्षद्रोही रही है। गवाह ने अभियुक्त को जानने से स्पष्ट इनकार किया है।

40. अन्य गवाह **पी.ड. 8 रोशन समरिया** जिसने दिनांक 07.12.2019 को थानाधिकारी पुलिस थाना मदनगंज के पद पर पदस्थापित होना बताते हुए इस्तगासा पीड़िता द्वारा रंगलाल और मुकेश के विरुद्ध थाने पर प्राप्त होने पर अपराध अंतर्गत धारा 366, 376, 384, 120 बी भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान सीताराम, उपनिरीक्षक के जिम्मे किया जाना, इस्तगासा प्रदर्श पी. 1 पर सी से डी कार्यवाही पुलिस का अंकन होना, ई से एफ स्वयं के हस्ताक्षर होना, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 16 प्रादर्श जांच हेतु एफएसएल भिजवाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 17 अंतिम नतीजा किता कर अनुसंधान अधिकारी सीताराम ने उसके समक्ष पेश किया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 366, 376(2) भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अंतिम नतीजा पेश किया गया है। गवाह ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि गवाह बालवीर के बयानों में पीड़िता को मुकेश द्वारा जबरदस्ती भगाकर ले जाना, बलात्कार करने की बात नहीं लिखायी, अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिए गए बयान प्रदर्श पी 14 शंकर पुत्र हरजी में भी यह बताया था कि पुलिस वालों ने किशनगढ़ थाने में पीड़िता से पूछा तो उसने स्वयं की मर्जी से मुकेश के साथ जाना बताया था।

"Authenticated Document"

41. अन्य गवाह **पी.ड. 10 भंवरलाल** ने प्रकरण में अभियुक्त मुकेश को जरिए फर्द प्रदर्श पी. 19 गिरफ्तार किए जाने का कथन किया है।

42. अन्य गवाह **पी.ड. 11 कैलाश नाथ** ने रंगलाल का दिनांक 19.11.2019 को सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक अपने खेत पर ही रखवाली करना, रंगलाल ने उसकी पत्नी का वहीं होना, रंगलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और यही बात उसने पुलिस को बताई थी। गवाह ने जिरह में अभियुक्त व पीड़िता को जानने से इनकार किया है।

43. अन्य गवाह **पी.ड. 12 लक्ष्मण** ने अपनी साक्ष्य में पुलिस वालों के कहने पर बिलासपुर चौक होटल ट्यूलिप पार्किंन लेकर जाना, जहां मौके पर लिखापढ़ी करना, नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 कर बनाया जाना, जिस पर पुलिस वालों द्वारा कहने पर हस्ताक्षर करना, खाली कागजात पर हस्ताक्षर करने का कथन किया है। मौके पर उस समय कौन–कौन मौजूद था, बताने में असमर्थता जाहिर की है।

44. अन्य गवाह **पी.ड. 14 गीता चौधरी,** जो की अनुसंधान अधिकारी है, ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में दिनांक 19.12.2019 को घटनास्थल का नक्शा मौका पीड़िता की निशानदेही से गवाहन की उपस्थिति में बनाया जाना, जो प्रदर्श पी 2 होना तथा उसी दिन दूसरा घटना स्थल नया बस स्टैंड मदनगंज पर गवाहन की उपस्थिति में प्रदर्श पी 3 बनाया जाना, दौराने अनुसंधान पीड़िता को घटना के समय पहने हुए कपड़े पेश करने का नोटिस देने पर जवाब नोटिस में घटना के वक्त पहने हुए कपड़े फेंक देना बताया। नोटिस प्रदर्श पी 7 होना, गवाहन के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करना, पीड़िता व मुलजिम के मोबाइल नंबर की सीडीआर प्राप्त कर शामिल पत्रावली करना बताया है। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी 1 में पीड़िता द्वारा रंगलाल नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया था, परंतु उसे मुलजिम नहीं माना। पीड़िता ने घटना के समय पहने कपड़े पेश नहीं किए हैं। इसलिए उन्हें एफएसएल जांच के लिए नहीं भेजे जाने का कथन किया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि पीड़िता दिनांक 23.11.2019 को अपने परिवारजन को मिल गई थी। उसी दिन वह थाने पर भी चली गई थी, परंतु उक्त दिनांक को मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, इस संबंध में अनुसंधान नहीं किया जाना स्वीकार किया है तथा पीड़िता द्वारा अपनी स्वेच्छा से अपने माता–पिता के साथ जाना जाहिर किया गया, किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि उस दिन पीड़िता ने अपनी मर्जी से जाना और कोई बलात्कार की घटना नहीं होना बताया था, इसलिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसके द्वारा गवाह शंकर, बिदाम व बलवीर के 161 के बयान लेखबद्ध

किए गए थे, जिसमें उन्होंने पीड़िता पहली बार अपने परिवारजन के साथ थाने पर गई तब मुकेश के साथ अपनी मर्जी से जाना, बलात्कार की घटना के बारे में नहीं बताए जाने का कथन किया है। सीडीआर के साथ धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया जाना स्वीकार किया है।

45. अन्य गवाह **पी.ड. 16 गुरूशरण कुडी** ने अभियुक्त का पुरुषत्व संबंधी परीक्षण किए जाने का कथन किया है तथा उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाया जाना भी अपनी साक्ष्य में बताया है। गवाह ने परीक्षण के दौरान उसका सैंपल लिए जाने का भी कथन किया है। मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

46. अन्य गवाह **पी.ड. 9 डॉ. अंजना गुप्ता** ने पीड़िता का बलात्कार संबंधी परीक्षण पुलिस प्रतिवेदन पर किया जाना, जिसमें दो वेजाइनल स्लाइड स्वाब लेना, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर सीमन डिटेक्ट नहीं होना पाया जाना, पीड़िता के अंगों पर कोई चोट नहीं पाया जाना, मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी 5 पर ए से भी पीड़िता की सहमति, सी से डी उसके हस्ताक्षर, ई से एफ अपनी राय, जी से एच अपने हस्ताक्षर होना बताया व प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 में सीमन डिटेक्ट नहीं होने का कथन किया है। गवाह ने जिरह में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर कोई लालिमा, सूजन नहीं होना ना ही कोई जाहिरा चोट के निशान होना बताया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसे देखकर यह भी नहीं लगा कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई हो।

47. अन्य **गवाह पी.ड. 17 सीताराम,** जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक 07.12.2019 को वह पुलिस थाना मदनगंज पर तैनात था। उस दिन थानाधिकारी रोशनलाल जी सामरिया ने प्रकरण संख्या 397/2019 अन्तर्गत धारा 366, 376, 384, 120 बी भादंसं में दर्ज कर अनुसंधान उसके जिम्मे किया। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा परिवादिया के बयान महिला कानि. श्रीमती श्रवणी देवी की उपस्थिति मे परिवादिया के बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। परिवादिया का मेडिकल मुआयना कर रिपोर्ट संलग्न पत्रावली की जो प्रदर्श पी 5 है। परिवादिया के 164 सीआरपीसी के बयान मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष करवाकर नकल प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 6 है। 164 सीआरपीसी के बयानों में एक अन्य मुलजिम का नाम भी सामने आने पर पत्रावली का अनुसंधान डीवाईएसपी गीता चौधरी को सुपुर्द कर दिया था। अनुंसधान के दौरान परिवादिया द्वारा बिलासपुर में होटल मे ठहरना बताया जाने पर उसके द्वारा दिनांक 20.12.2019 को बिलासपुर मे होटल ट्यूलिप पार्किन का नक्शामौका बनाया था जो प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए–बी परिवादिया के तथा सी–

डी व ई–एफ गवाहान के हस्ताक्षर है तथा जी–एच उसके हस्ताक्षर है, आई–जे हालात मौका अंकित है। इस होटल के संचालक गिरीश कुमार के 161 सीआरपीसी के बयान उसके द्वारा लेखबद्ध किये गये थे। प्रकरण मे जप्तशुदा सैंपल एफएसएल जमा कराने बाबत् भगवान सहाय एवं रामजीलाल के 161 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध किये गये। प्रकरण मे मालखाना इंचार्ज के भी 161 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध किये गये। उसके द्वारा अभियुक्त मुकेश को घटना के समय पहने कपड़े पेश करते बाबत् नोटिस दिया गया था जो प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए–बी उसके हस्ताक्षर व सी–डी मुलजिम का जवाब व हस्ताक्षर है। मुलजिम को जरिये फर्द प्रदर्श पी 19 गवाह सुरेश व भंवरलाल के समक्ष गिरफतार किया था, जिस पर ए–बी व सी–डी गवाहान के तथा ई–एफ मुलजिम मुकेश तथा जी–एच उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मुलजिम मुकेश का पुरूषत्व संबंधी मेडिकल करवाया गया जो प्रदर्श पी 22 हैं जिस पर आई–जे शामिल पत्रावली कर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा बिलासपुर होटल के दस्तावेज दौराने अनुसंधान लिये थे जो क्रमशः प्रदर्श पी 24 व 25 है जिस पर ए–बी उसके हस्ताक्षर है।

48. **अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि यह उसे जानकारी नहीं है कि पीड़िता दिनांक 23.11.2019 को ही अपने परिवारजन के साथ थाने पर पहुंच गई हो फिर भी पुलिस ने उस दिन मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। उसे जानकारी नही है कि उस दिन मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं हुआ हो क्योंकि उस दिन पीड़िता ने अभियुक्त के साथ अपनी मर्जी से जाना व उसके साथ कोई गलत काम नहीं होना बताया हो। यह कहना सही है कि होटल संचालक ने पीड़िता व अभियुक्त का दिनांक 19.11.2019 को बिलासपुर में उसकी होटल में रूकना व रहना प्रमाणित नहीं किया था।

49. इस प्रकार से उक्त गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में दिनांक 23.11.2019 को पीड़िता के परिवारजन के साथ थाने पर पहुंचने पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जानकारी नहीं होना बताया है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि होटल संचालक ने पीड़िता व अभियुक्त का दिनांक 19.11.2019 को बिलासपुर में उसके होटल पर रुकना व रहना प्रमाणित नहीं किया था।

50. इस प्रकार से पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के विवेचन विश्लेषण से यह स्थिति उभर कर प्रकट होती है कि अभियुक्त के विरुद्ध पीड़िता को दिनांक 19.11.2019 को किसी समय वाके मौजा रोडवेज बैस स्टैण्ड से पीड़िता को अपने साथ अयुक्त संभोग के लिए उसे विवश या विलुब्ध करने हेतु या यह जानते हुए कि वह इस प्रकार विवश या विलुब्त की जायेगी, उसको प्रवंचनापूर्वक उपायों द्वारा अपने साथ ले जाने के लिए उत्प्रेरित कर उसका अपहरण कर उसे जयपुर,

बिलासपुर, हरियाणा, नसीराबाद एवं पुष्कर ले जाना और दिनांक 19.11.2019 से दिनांक 23.11.2019 तक अलग–अलग स्थान व अलग–अलग समय पर पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध व उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग करने के धारा 366, 376(2) भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप हैं। पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त के साथ अपनी मर्जी से जाना बताया है तथा पुराने लेनदेन के कारण रिपोर्ट दर्ज करवाने का कथन करते हुए पक्षद्रोही रही है तथा अपने साथ कोई कोई घटना होने से इनकार करते हुए रंजिशवश गुस्से में मुकदमा दर्ज करवाना बताया है। अभियुक्त उसे जबरन लेकर गया हो और उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बलात्कार किया हो, इस तथ्य से भी जिरह में स्पष्ट इनकार किया है। ऐसी स्थिति में पीड़िता ने अपने परिवाद व धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी. 9 में वर्णित तथ्यों की लैशमात्र ताईद अपनी साक्ष्य में नहीं की है व घटना की पुष्टि नहीं की है। पीड़िता की माता पी.ड. 2 तथा पीड़िता के पिता पी.ड. 3 ने भी अपनी साक्ष्य में अपनी पुत्री का अभियुक्त के साथ दूसरे दिन वापस आना व दोनों का सहमति से घूमने जाना, हिसाब को लेकर विवाद होने पर कोर्ट में इस्तगासा पेश करने का कथन करते हुए पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी 10 व 11 के सी से डी भाग पुलिस को लिखाए जाने से इनकार करते हुए पक्षद्रोही रहे हैं तथा घटना की लैशमात्र ताईद अपनी साक्ष्य में नहीं की है। पीड़िता को अभियुक्त प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा अपने साथ ले गया हो और उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन बलात्कार किया हो और ऐसी बात उनकी पुत्री पीड़िता ने उन्हें बताई हो ऐसी कोई साक्षय नहीं दी है, जिससे पीड़िता के परिवाद में वर्णित तथ्यों की पुष्टि उक्त गवाहान की साक्ष्य से नहीं होती है। गवाह पी.ड. 5 बलवीर ने भी अपनी साक्ष्य में पीड़िता का मुकेश के साथ भागना सुना जाना तथा थाने पर लेकर आने पर पीड़िता ने अभियुक्त पर जबरदस्ती भगाकर ले जाने व बलात्कार करने की बात बताई हो, इस तथ्य से स्पष्ट इनकार किया है व अपनी इच्छा से ही जाने का कथन करते हुए पूर्णतया पक्षद्रोही रहा है व अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 13 के सी से डी, ई से एफ भाग से इनकार करते हुए पुलिस को लिखाए जाने से इनकार किया है। गवाह ने अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया हो, उसे भगाकर ले गया हो, यह बात पीड़िता ने उन्हें बाद में बताई हो, इस तथ्य से भी स्पष्ट इनकार किया है व माता–पिता के दबाव में व लेनदेन के विवाद के कारण अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का कथन करते हुए पीड़िता के परिवाद के तथ्यों की ताईद नहीं की है। अन्य गवाह पी.ड. 6 शंकर ने भी अपनी साक्ष्य में पीड़िता का मुकेश के साथ जाना, बाद में पुलिस में पीड़िता ने अपनी मर्जी से मुकेश के साथ जाना बताया था। उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। पीड़िता ने अपने माता–

पिता के दबाव में व लेनदेन के विवाद के कारण ही मुकदमा दर्ज करवाया था, बताया है तथा गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 13 में अभियुक्त को अपराध में आलिप्त करने वाले तत्वों को लिखाए जाने से स्पष्ट इनकार किया है। अन्य गवाह पी.ड. 7 बदाम ने भी पीड़िता का मुकेश के साथ जाना, पुलिस वालों द्वारा पीड़िता को ढूंढ कर लाने पर पीड़िता ने अभियुक्त के साथ अपनी इच्छा से जाना बताया था। उक्त गवाह पीड़िता की सास है, जिसने भी अपनी साक्ष्य में पीड़िता के साथ अभियुक्त ने बलात्कार किया हो, उसे जबरन भगाकर ले गया हो, यह बात पुलिस में पीड़िता ने उनके सामने बताई हो, इस तथ्य से स्पष्ट इनकार किया है। इस प्रकार से उक्त गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त ने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार करने, उसे जबरन भगाकर ले जाने का कोई कथन नहीं किया है व इस्तगासा की ताईद नहीं की है। गवाह पी.ड. 4 महावीर व गवाह पी.ड. 11 कैलाश नाथ ने अभियुक्त व पीड़िता को जानने से ही स्पष्ट इनकार किया है व अभियोजन कहानी का लैश मात्र समर्थन नहीं किया है।

**51.** इस प्रकार से अभियोजन द्वारा पीड़िता, उसके माता–पिता व परिवारजन के जिन महत्वपूर्ण गवाहन के बयान लेखबद्ध करवाए गए हैं, उन सभी गवाहन ने अपनी साक्ष्य में पीड़िता को अभियुक्त प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा अपने साथ ले जाकर उसका अपहरण किया हो व उसे विभिन्न स्थान जयपुर, बिलासपुर, हरियाणा, नसीराबाद एवं पुष्कर ले गया हो, इस संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। उन अलग–अलग स्थान पर पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध व उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती उसके साथ अलग–अलग समय पर बलात्कार किया हो, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है, जिससे उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा पीड़िता का अपहरण करने व उसके साथ उसकी इच्छा व सहमति के बिना बलात्कार किए जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है। अनुसंधान अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया जाना जो प्रदर्श पी. 5 होना बताया है। उक्त मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में गवाह पी.ड. 9 ने उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 को पीड़िता के मेडिकल मुआयना के पश्चात् तैयार किया जाना स्वीकार किया है। परीक्षण के दौरान उक्त गवाह ने पीड़िता के अंगों पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाया जाना तथा उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई लालिमा, सूजन या कोई जाहिरा चोट के निशान देखें जाने से इनकार करते हुए गवाह ने पीड़िता को देखकर भी उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई हो, इस तथ्य से स्पष्ट इनकार किया है। गवाह ने पीड़िता के वेजाइनल स्लाइड व स्वाब को एफएसएल हेतु लिया जाना व प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 में भी सीमेन डिटेक्ट नहीं पाए जाने का कथन किया है। इस प्रकार से जो चिकित्सकीय गवाहन अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाए

गए हैं, उनकी मौखिक साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट, मेडिकल मुआयना रिपोर्ट से भी पीड़िता के साथ बलात्कार होने की पुष्टि नहीं हुई है तथा एफएसएल रिपोर्ट में भी कोई सीमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ है। अतः उक्त चिकित्सकीय साक्ष्य व एफएसएल रिपोर्ट से भी पीड़िता के साथ बलात्कार होने की पुष्टि नहीं हुई है। गवाह पी.ड. 13 संतरा ने अपनी साक्ष्य में पीड़िता के साथ किशनगढ़ से अपने गांव आने वाले टेंपो में बैठना बताया है। थोड़ी देर बाद पीड़िता का टेंपो से उतर कर जाने का कथन किया है। पीड़िता किसके साथ गई, कहां गई, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है एवं पक्षद्रोही रही है तथा जिरह में अभियुक्त को जानने से स्पष्ट इनकार किया है व अपने पुलिस बयान का सी से डी भाग भी जिसमें अभियुक्त, पीड़िता को टेंपो से बुलाकर मिल चौराहे की तरफ ले गया हो, काफी समय तक पीड़िता नहीं आई इत्यादि बात भी लिखवाए जाने से स्पष्ट इनकार किया है। पीड़िता द्वारा परिवादी में रंगलाल नाम के व्यक्ति द्वारा टैम्पो में बैठाकर ले जाना, मिठाई खिलाना, जिससे अचेत होना, फिर उसके कहेनुसार बस में बैठा मिलना व रंगलाल व मुकेश द्वारा उसके मां–बाप व भाई को जान से मारने की धमकी देना बताया है, परंतु अनुसंधान में रंगलाल आरोपी होना नहीं पाया गया है। अतः परिवादिया के परिवाद में वर्णित कथनों की सत्यता प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त पीड़िता ने परिवाद में अभियुक्त का विभिन्न स्थानों पर ले जाना बताया है। नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 4 भी पीड़िता की निशानदेही से होटल ट्यूलिप पार्किन का बनवाया है, परंतु उक्त होटल प्रबंधक द्वारा पीड़िता व अभियुक्त का दिनांक 19.11.2019 को बिलासपुर में उसकी होटल में रूकना व रहना प्रमाणित नहीं करना अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 17 सीताराम ने साक्ष्य में बताया है व दस्तावेज प्रदर्श पी. 24 व 25 पेश किए हैं, जिससे भी पीड़िता के परिवाद में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है।

52. इस प्रकार से पीड़िता सहित अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहन, जिसमें पीड़िता के माता–पिता, सास व अन्य परिवारजन है, पक्षद्रोही रहे हैं तथा उन्होंने अभियुक्त द्वारा प्रवंचनापूर्ण उपायों से अयुक्त संभोग करने के आशय से पीड़िता का अपहरण करने तथा पीड़िता के साथ विभिन्न समय व स्थान पर बलात्कार करने के तथ्य की पुष्टि नहीं की है। चिकित्सकीय रिपोर्ट व एफएसएल रिपोर्ट से भी पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार किए जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में पीड़िता ने घटना दिनांक 19.11.2019 की होना बताया है तथा अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य के अनुसार पीड़िता दिनांक 23.11.2019 को उसके परिवारजन को मिल गई थी व उसी दिन वह थाने पर भी चली गई थी, परंतु उक्त दिनांक को उसके द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया तथा

अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 14 गीता चौधरी ने अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि उस दिन पीड़िता ने अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ जाना एवं उसके साथ कोई बलात्कार की घटना होने से इनकार किया था, इसलिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। पीड़िता जब पहली बार थाने पर आई तब उसने अभियुक्त के साथ मर्जी से जाना व बलात्कार की घटना के बारे में नहीं बताया जाना गवाह शंकर, बदाम व बलवीर द्वारा अपने पुलिस बयानों में बताए जाने का कथन किया है। प्रकरण में पीड़िता व अभियुक्त के मोबाइल की सीडीआर अनुसंधान अधिकारी ने पत्रावली में पेश होना जाहिर किया है, परंतु अभियोजन द्वारा उक्त सीडीआर को साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया गया है ना ही उक्त सीडीआर के संदर्भ में धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि उक्त सीडीआर साक्ष्य में प्रदर्शित हो भी जाती तब भी उससे अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया गया हो या उसका जबरन अपहरण किया हो, इस तथ्य की पुष्टि मौखिक गवाहान की साक्ष्य से नहीं होती क्योंकि पीड़िता ने अपने साथ अभियुक्त द्वारा उसे उसकी सहमति के बिना ले जाना या इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किए जाने के तथ्य से स्पष्ट इनकार करते हुए अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ जाना बताया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है कि अभियुक्त ने दिनांक 19.11.2019 को किसी समय वाके मौजा रोडवेज बैस स्टैण्ड से पीड़िता को अपने साथ अयुक्त संभोग के लिए उसे विवश या विलुब्ध करने हेतु या यह जानते हुए कि यह इस प्रकार अयुक्त संभोग के लिए विवश या विलुब्त की जायेगी, उसको प्रवंचनापूर्वक उपायों द्वारा अपने साथ जाने के लिए उत्प्रेरित कर उसका अपहरण कर उसे जयपुर, बिलासपुर, हरियाणा, नसीराबाद एवं पुष्कर ले गया और दिनांक 19.11.2019 से दिनांक 23.11.2019 को सुबह 7.00 ए.एम. से पूर्व अलग–अलग समय पर अलग–अलग स्थान पर पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध व उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग किया।

53. अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त मुकेश पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 366, 376(2) भारतीय दण्ड संहिता युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

## –आ दे श–

54. अतः **अभियुक्त मुकेश पुत्र श्री करणाराम उम्र 26 साल निवासी टिकावड़ा पुलिस थाना किशनगढ़ शहर जिला अजमेर** को अपराध अन्तर्गत धारा 366, 376

भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

**55.** अभियुक्त के न्यायालय में पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है। अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता की पालना में इस आदेश की अपील होने की दशा में अपील न्यायालय में उपस्थिति हेतु 6 माह की अवधि तक धारा 437 ए जाप्ता फौजदारी के तहत 10,000/–रुपये राशि की जमानत, इस कदर राशि के मुचलके पूर्व में पेश कर तस्दीक कराये जा चुके हैं।

**56.** प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत यदि कोई हो तो, को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन, अपील/रिवीजन न होने की स्थिति में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

**57.** राज्य सरकार के द्वारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 बनाई गई है, इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत आवश्यक संशोधन किये जाकर 357 क, ख, ग जोड़ी गई, जिसका सार यह है कि यदि किसी आपराधिक घटना के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति को कोई शारीरिक या साम्पतिक क्षति कारित हुई है तो उसकी पूर्ति नियमानुसार की जायेगी। हस्तगत प्रकरण में स्वयं पीड़िता के बयानों में विसंगतियां है व पीड़िता ने अखण्डनीय साक्ष्य न्यायालय में लेखबद्ध नहीं करवाई है। चूंकि पीड़िता के स्वयं का अयुक्त संभोग हेतु अपहरण करने व जबरन बलात्संग करने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। अतः धारा 357 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पीड़िता को किसी प्रकार का प्रतिकर दिलाया जाना विधि अनुसार व न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से पीड़िता को प्रतिकर दिलाया जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

**(शालिनी शर्मा)**
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2
किशनगढ़ जिला अजमेर।

**58.** निर्णय आज दिनांक 06.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

**(शालिनी शर्मा)**
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2
किशनगढ़ जिला अजमेर।

GANPAT SINGH SOLANKI
Steno Gr. II "Authenticated Document"
Digitally signed by GANPAT SINGH SOLANKI
Date: 2026.06.08 13:45:51 +0530